Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.7282, Volume 09, No. 01, January, 2019, pp. 213-220

foÙkh; lekos'ku ls lkekftd ifjorZu

डॉ. महबूब आलम*

lkjka'k

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब में नहीं है। साफ है गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए बिना भारत को सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। समस्या बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की भी है। इस संदर्भ में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए भूमि सुधार के साथ–साथ कृषि क्षेत्र को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। किसानों को जागरूक एवं बिचौलिए की भूमिका को सीमित करने की भी आवश्यकता है।

ey 'kCn: *ग्रामीण भारत सामाजिक सुरक्षा वित्तीय समावेशन बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक विकास।*

—————————

izLrkouk

भारत एक समाजवादी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश है। इसलिए हमारे संविधान में समावेशी विकास की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि विकास में सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। मौजूदा समय में देश की आबादी का एक बड़ा तबका बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को सामाजिक रूप से सुरक्षित बनाने की जरूरत है। यहां सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य है गरीब एवं अशक्त लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाना। यही एक रास्ता है, जिससे गरीब एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। ऐसे में सवाल का उठना लाजिमी है कि सामाजिक सुरक्षा की जरुरत किसे है? जाहिर है बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोग ही सामाजिक सुरक्षा पाने के हकदार हैं। इस नजरिये से ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, को सामाजिक रूप से सुरक्षित बनाकर वहां सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। भारत की 70 प्रतिशत आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय आदि सुविधाओं का अभाव है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में लगभग 30 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में रहते हैं। इधर, लाख दावों व कोशिशों के बाद भी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं दिया जा सका है। इतना ही नहीं बीते सालों से सामाजिक मुद्दे जैसे दहेज, छुआछूत, बाल विवाह, बुजर्गों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना, रोजगार सृजन, अंधविश्वास, जातिवाद आदि उपेक्षित हैं। मामले में स्थिति इतनी गंभीर है कि इन दिनों अमूमन नकारात्मक घटना घटने के बाद ही लोगों को इन मुद्दों की याद आती है।

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बुद्ध पी जी कॉलेज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

mi{kr xkeh.k {k=

सामाजिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण वाहक "कृषि क्षेत्र" आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पा रहे हैं। देश के सुदूर इलाकों में बिजली, पानी, सड़क, पुल, भंडारण की व्यवस्था, मंडी का इंतजाम और बैंकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण खेती–किसानी का भगवान भरोसे होना है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि क्षेत्र में अर्ध–बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। एक व्यक्ति की क्षमता वाले काम को अनेक लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसके कारण कड़ी मेहनत के बाद भी किसान जीवनयापन लायक आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। करोड़ों लोगों को आज भी दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। जिन्हें मिल रहा है, उनके भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में छह करोड़ से भी अधिक बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं।

आमतौर पर कुपोषण की जद में आने के बाद बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता या उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे–धीरे कमजोर पड़ने लगती है और बच्चे खसरा, निमोनिया, पीलिया, मलेरिया आदि बीमारियों की गिरफ्त में आकर दम तोड़ देते हैं। बच्चे मरते हैं कुपोषण से, लेकिन लगता है कि उनकी मौत बीमारियों के कारण हो रही है। देखा गया है कि रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को वित्तीय मदद की जरुरत होती है, लेकिन बैंकों की कमी के कारण किसानों को महाजन की शरण में जाना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में बुनियादी–स्तर पर सुधारवादी कार्य नहीं किए जाने के कारण उत्पादन में में बढ़ोतरी, कृषि आय में इजाफा, भूमि–सुधार, समय पर खाद–बीज का इंतजाम, गांवों को निकटतम बाजार से सड़क या रेलमार्ग से जोड़ना, फसलों का मूल्य निर्धारण, खाद्यान्न खरीद नीतियों का मानकीकरण, उचित भंडारण की व्यवस्था आदि में व्याप्त अव्यवस्था के कारण किसानों की हालत दिन–प्रति–दिन बद से बदतर होती जा रही है।

egRoi.k lkekftd ;ktuk,

गरीबों के उत्थान के लिए सरकार अनेक सामाजिक योजनाएं चला रही है। पहले से चली आ रही महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम स्वरोजगार योजना आदि महत्वपूर्ण हैं। अन्य तीन बड़ी सामाजिक योजनाओं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को हाल ही में शुरू किया गया है। इनमें से दो बीमा से जुड़ी योजनाएं हैं, जबकि एक पेंशन से संबंधित। इन योजनाओं को देश के गरीबों के हित में शुरू किया गया है। सरकार गरीबों का सशक्तीकरण करना चाहती है। इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सबल बनाने की कोशिश की गई है।

lkekftd cnyko grq foÙkh; lekos'ku dh t:jr

आजादी के 70 सालों के बाद भी देश की आबादी का एक बड़ा तबका अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए महाजन या साहूकार पर निर्भर है, जबकि वे गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जिसके कारण अक्सर आत्महत्या के मामले प्रकाश में आते हैं। दरअसल, बैंकों की सहभागिता के बिना ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव नहीं लाया जा सकता है। हालत में सुधार के लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैंक का होना जरुरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त संख्या में बैंक नहीं हैं। जहां बैंक की शाखा है, वहां भी सभी ग्रामीण बैंक से जुड़ नहीं पाए हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल आबादी के अनुपात में 68 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं। बीपीएल वर्ग में सिर्फ 18 प्रतिशत के पास ही बैंक खाता है। देश की 42 प्रतिशत आबादी और 58 प्रतिशत परिवार औपचारिक बैंकिंग सुविधा से आज भी वंचित हैं। अशिक्षा व गरीबी के कारण वे बैंकों में अपना खाता खुलवाने की स्थिति में नहीं हैं। बैंक के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं कि वह उनका खाता खुलवा सकें।

ग्रामीण भारत के विकास के लिए सभी जरूरतमंद लोगों को बैंक से जोड़ना एकमात्र विकल्प है। बैंक से जुड़ने के बाद ही उन्हें सब्सिडी सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाएं, जहां संपर्क और बुनियादी ढांचे की समस्याएं हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब 50,000 गांव पहाड़ीइलाकों में स्थित हैं, जहां बैंकिंग सुविधा पहुंचाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आधारभूत संरचना की कमी को दूर करने एवं खेती–किसानी हेतु प्रकृति पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार बैंकिंग तंत्र की भूमिका को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस आलोक में बैंक लाभार्थी के खातों में सब्सिडी, कृषि कार्यों को गति देने के लिए ऋण, रोजगार सृजन, बीमा एवं उसके भुगतान को सुनिश्चित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा, कुटीर उद्योग को विकसित करने आदि में अपनी महती भूमिका निभा सकता है।

foÙkh; lekos'ku dk vFkZ ,oa ekStnk fLFkfr

वित्तीय समावेशन का अर्थ है हर किसी को बैंक से जोड़ना। बैंक से जुड़े रहने पर ही किसी को सरकारी सहायता पारदर्शी तरीके से दी जा सकती है। इसके लिए सरकार बैंकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। हमारे देश में फिलहाल क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के अलावा 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के और 43 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। बावजूद इसके, हमारे देश में एक लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 11 बैंक शाखा हैं, जबकि अमेरिका में यह एक लाख की जनसंख्या पर 35 हैं। एक अनुमान के मुताबिक, बैंकों को 6 करोड़ ग्रामीण इलाकों के घरों को बैंक से जोड़ना है। 31.03.2014 को देशभर में 1,15,055 बैंक शाखाओं और 1,60,055 एटीएम का नेटवर्क था, जिसमें से 43,962 (38.2:) शाखाएं और 23,334 (14.58:) एटीएम ग्रामीण क्षेत्र में थे। डाकघर भले ही वर्तमान में सभी तरह की बैंकिंग जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी बैंकों की तरह कार्य करने लगेगा। देश की आजादी के वक्त डाकघरों की संख्या महज 23344 थी, जो 31 मार्च, 2009 में बढ़कर 155015 से अधिक हो गईं, जोकि सभी वाणिजियक बैंकों की शाखाओं से लगभग दुगुनी थी और इनमें से 89.76 प्रतिशत यानी 139144 शाखाएं ग्रामीण इलाकों में थीं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में डाकघरों की गहरी पैठ है। साथ में ग्रामीणों का भरोसा भी उस पर अटूट है। ग्रामीण इलाकों में डाककर्मी चौबीस घंटे सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आमतौर पर गांवों में डाककर्मी खेतीबाड़ी के साथ–साथ डाकघर का काम करते हैं। डाकघर उनके घर से संचालित होता है। वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना सरकार का काफी पुराना लक्ष्य है। इसकी मदद से सरकार अपने सामाजिक व आर्थिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहती है। गरीबों को बुनियादी सुविधाएं एवं जीवनयापन के लिए आवश्यक तंत्रों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्हें भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। गरीबों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें बैंक से जोड़ना आवश्यक है। बैंक के माध्यम से ही गरीबों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सकता है।

foÙkh; lekos'ku dh fn'kk esa ç;kl

वित्तीय समावेशन के सपने को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम था। बैंकों का विस्तार, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि की शुरुआत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई थी। बाद में लीड बैंक, स्वसहायता समूह (एसएचजी), सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) का आगाज भी वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करने के लिए किया गया। पहले "स्वाभिमान" के नाम से सरकार वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य कर रही थी। इसी क्रम में अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना का आगाज किया। इस योजना को लागू कराने में बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक के कारोबारी प्रतिनिधि आदि सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं। कारोबारी प्रतिनिधि बेहतर कार्य करें इसके लिए उन्हें एक निश्चित वेतन देने की भी योजना है। इसके लिए केवाईसी नियमों को भी सरल बनाया गया है। बैंक ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए समय–समय पर जन–जागरुकता अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के

तहत 8 जुलाई, 2015 तक 16.73 करोड़ खाते खोले जा चुके थे, जिसमें 10.1 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। इस अवधि तक 14.87 करोड़ रुपे कार्ड भी खाताधारकों को जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत खोलेगए खातों में संतोषजनक रूप से खाता चलाने वाले खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा रही है। योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए राज्य व जिला–स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है।

इस आलोक में सरकार की मंशा छोटे बैंकों का विस्तार देश के दूरदराज इलाकों में करने की है, ताकि बैंकिंग सुविधाएं सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें। देखा जाए तो छोटे बैंकों का मुख्य कार्य जमा उत्पाद मुहैया कराना, छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म, छोटे और मझोले किसानों को कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराना, असंगठित क्षेत्र की कंपनियों और छोटी कंपनियों को उच्च–स्तर की तकनीकी सुविधा कम लागत पर देना आदि है। छोटे बैंक से सबसे अधिक फायदा छोटे किसानों, कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों एवं अन्य छोटे कारोबारियों जैसे, खोमचे वाले, रेहड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले आदि को होगा, क्योंकि छोटे बैंक का उद्देश्य छोटे किसानों, कुटीर उद्योग चलाने वाले कारोबारियों, अति लघु व लघु उद्योगों, असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिक–स्तर की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत सीमित–स्तर तक जमा स्वीकार किए जाएंगे और 25 लाखरुपये तक ऋण भी दिए जा सकेंगे। साथ ही, ये बैंक ग्राहकों को दूसरी बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकेंगे। स्पष्ट है, छोटे बैंकों के अस्तित्व में आने से छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा, जिससे कुटीर उद्योग एवं एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि छोटे बैंक के आने से कर्ज दर मेंउल्लेखनीय कमी आएगी। छोटे बैंकों द्वारा गृह, शिक्षा, कृषि से जुड़े ऋण एवं एसएमई से जुड़े कर्ज देने से लोगों की बड़े बैंकों पर से निर्भरता कम हो सकेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि छोटे बैंकों की मदद से देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। साथ ही, छोटे किसानों व कारोबारियों को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराया जा सकेगा। छोटे बैंक पूंजी की लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह सस्ती दर पर कर्ज नहीं उपलब्ध करा सकेंगे। इसलिए कारोबार के विस्तार के लिए छोटे बैंकों को सुदूर इलाकों में जाना होगा, जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित तबके को फायदा होगा। इससे बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल का निर्माण भी हो सकेगा। इसी क्रम में रिजर्व बैंक ने 10 छोटे बैंकों में से अधिकतर सूक्ष्म वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को लाइसेंस दिया है। 'बंधन' जो पूर्व में माइक्रोफाइनेंस की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा था, ने बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पहले ही महीने में 5 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। लाइसेंस पाने वाली कंपनियां वैसे लोगों को कर्ज मुहैया करा रही हैं, जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है। माना जा रहा है कि आईडीएफसी बैंक भी वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने की दिशा में बेहतर कार्य करेगा, क्योंकि यह पहले से ही सूक्ष्म–स्तर पर वित्तपोषणकरने का काम कर रहा है। हो सकेगा।

इसी क्रम में रिजर्व बैंक ने 10 छोटे बैंकों में से अधिकतर सूक्ष्म वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को लाइसेंस दिया है। 'बंधन' जो पूर्व में माइक्रोफाइनेंस की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा था, ने बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पहले ही महीने में 5 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। लाइसेंस पाने वाली कंपनियां वैसे लोगों को कर्ज मुहैया करा रही हैं, जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं है। माना जा रहा है कि आईडीएफसी बैंक भी वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने की दिशा में बेहतरकार्य करेगा, क्योंकि यह पहले से ही सूक्ष्म–स्तर पर वित्तपोषणकरने का काम कर रहा है।

ekckby cSfdax lkekftd cnyko dk okgd

एक आकलन के मुताबिक 125 करोड़ आबादी की बैंकिंग जरूरतों को बैंक शाखा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश के कोने–कोने में बैंक शाखा खोलना और वहां बैंकिंग कार्यकलापों के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना एक महंगी एवं अव्यावहारिक प्रक्रिया है। लिहाजा, मोबाइल बैंकिंग को वित्तीय समावेशन की संकल्पना को पूरा करने के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त

मोबाइल बैंकिंग किसी भी शाखा में किए जा रहे बैंकिंग कार्य के संचालन से 10 गुना सस्ती भी है। मोबाइल का इस्तेमाल करने के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और यहां मोबाइल के 900 मिलिय उपभोक्ता हैं। जाहिर है इसकी मदद से आसानी से वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा तबका अभी भी बैंकिंग सुविधाओं से महरूम है। पूरे देश में लगभग 95000 बैंक शाखाएं हैं और इनकी मदद से 125 करोड़ आबादी की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में कम से कम 30 से 40 वर्ष लगेंगे। इस कमी को मोबाइल बैंकिंग के जरिए पूरा किया जा सकता है। इसकी सहायता से पैसों का भुगतान, अंतरण, बिलों का भुगतान आदि कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण ग्राहकों की तकरीबन सभी सामान्य आवश्यकताएं घर बैठे पूरी हो रही हैं और समय की बचत, आत्मविश्वास में इजाफा, वित्तीय सूचनाओं की उपलब्धता आदि संभव हो पा रही हैं। मौजूदा समय में मोबाइल बैंकिंग के जरिए चेकबुक हेतु आवेदन देना, आवर्ती व सावधि खाता खोलने के लिए रिक्वेस्ट करना, पैसों का अंतरण, प्रति माह पचास हजार रुपये का नकद प्रबंधन, डेबिट एवं क्रेडिट स्टेटमेंट आदि सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध करायी जा रही हैं। अधिकांश लोगों के हिंदीभाषी होने के कारण कुछ बैंकों ने हिंदी में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मुहैया करायी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रवेश करना आसान हो गया है। बैंकों के द्वारा मोबाइल बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है। इतना ही नहीं अच्छे ग्राहकों को खुद से निश्चित सीमा तक क्रेडिट लिमिट बनाने की सुविधा भी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर ग्राहक अपनी छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा कर सकें। मोबाइल नेटवर्क की सहायता से पैसों का अंतरण या पॉइंट ऑफ सेल पर इसे डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

#i dkM ls xkeh.kk dk thou gvk vklku

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में रुपे कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहक ऑनलाइन, एटीएम और बिक्री केन्द्रों से खरीदारी कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार ई–कामर्स की संकल्पना को सही मायनों में सच करने की दिशा में यह कारगर साबित हो रहा है। इससे लोग खुदरा खरीदारी कर रहे हैं। बैंक गए बिना पैसों की निकासी की सुविधा मिलने से समय की बचत के साथ–साथ बिचौलियों के पंजे से भी ग्रामीणों को छुटकारा मिला है। आज ई–कामर्स की सुविधा का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर बैठे मनचाहा उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे बिचौलिए की भूमिका कम हुई है और सस्ती दर पर विविध उत्पाद उपलब्ध हो पा रहे हैं।

cfdx lpuk vkj çk|kfxdh ls xkeh.k ;okvk dk Qk;nk

आज सूचना और प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया है। नये जमाने की बैंकिंग का एक अहम हिस्सा मोबाइल, एटीएम एवं इंटरनेट बैंकिंग है, जिसने पुरानी बैंकिंग की परिभाषा को बदल दिया है। आज बैंक से पैसा निकालने के लिए न तो किसी को बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ता है और न ही लंबी लाईन में लगने की जरूरत होती है। आज की बैंकिंग देशकाल की सीमा से परे हो गई है। इसकी उपलब्धता 24 घंटे और 365 दिन हो गई है। उपयोग की सरल प्रक्रिया एवं अकूत फायदों की वजह से आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ग्रामीण मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम का धीरे–धीरे उपयोग करने के आदी हो रहे हैं। सच कहा जाए तो अद्यतन बैंकिंग तकनीक ने विश्व को एक गांव बना दिया है। अब ग्राहक किसी भी समय विश्व के किसी भी कोने से अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे ग्राहकों का बहुमूल्य समय बच रहा है जिसका उपयोग ग्रामीण जरूरी कार्यों को निपटाने, अपने परिवार व दोस्तों के लिए कर रहे हैं।

cd xkeh.k {k= e jkstxkj ltu dk vkèkkj

एक लंबी गुलामी ने देश को खोखला कर दिया था। अर्थव्यवस्था में तेजी और सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना जरूरी था। बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र

में एसएचजी एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश में शुरू से ही गंभीर मसला रहा है। जिस देश का युवा रोजगार पाने से महरूम रहे, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? इक्कीसवीं सदी में भी हमारे देश की सरकार रोजगार कार्यालय खोलने के लिए मजबूर है। फिर भी इसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। आज हमारे देश में रोजगार के अभाव में युवा दिग्भ्रमित होकर गलत रास्ते अपना रहे हैं या फिर कर्ज एवं भुखमरी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में हाल ही में किसानों ने आत्महत्या की है। इसके मूल में निश्चित रूप से अर्ध–बेरोजगारी या बेरोजगारी है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन उन्हें कभी भी सही तरह से लागू नहीं कराया जा सका। अतः बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाना आवश्यक है जिसे वित्तीय समावेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

xkeh.k {k= dk lekos'kh fodkl

भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद ही आ सकती है। सरकार इस तथ्य से भलीभांति अवगत है। लिहाजा, वह बैंकों की मदद से गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहती है। इस क्रम में ऋण एवं दूसरी सरकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए आधुनिक सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाना चाहती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। जाहिर है इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा और ग्रामीण रोजगार की तलाश में शहर या परदेस पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। गांव का पैसा गांव में ही रहने से वहां का बेहतर विकास हो सकेगा। गांव में वहां के लोगों की हर समय उपस्थिति से सामाजिक–स्तर में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा।

f'k{kk l cnyxh xkeh.k Hkkjr dh ljr

भारत एक विकासशील देश है यानी विकास के बहुत सारे मानक अभी भी यहां अधूरे हैं। समस्या गरीबी, स्वास्थ्य एवं अशिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकी वजह से आबादी का एक बड़ा तबका मुफलिसी में जीवन जी रहा है, जबकि लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन समस्याओं से आम जनता को निजात दिलाए। 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक लंबी गुलामी ने देश को खोखला कर दिया था। अर्थव्यवस्था में तेजी और सामाजिक सरोकारों को पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले गरीब होशियार बच्चों के लिए शिक्षा हासिल करना सपने पूरे करने के समान था। चाहते हुए भी, वे अपने सपने साकार नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं था कि इसका नुकसान सिर्फ बच्चों को ही हुआ। हमारा देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, जहां के बच्चे समुचित शिक्षा पाने से वंचित रह गए, इस वजह से योग्य इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रबंधक, प्रशासक, पत्रकार आदि की सेवा पाने से महरूम रहे। इन्हीं में से कोई रवीन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन या फिर एपीजी अब्दुल कलाम हो सकता था, लेकिन अव्यवस्था की वजह से ऐसा नहीं हो सका और योग्य मानव संसाधन की कमी से देश के विकास की रफ्तार मंद पड़ गई। गौरतलब है कि भारत की साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है। शहरों एवं गांवों पर एक समान ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में सकल नामांकन अनुपात मात्र 12.4 प्रतिशत है, जबकि विश्व का औसत 25 प्रतिशत और विकसित देशों का 50 प्रतिशत है। पिछड़े देशों में यह औसत 6 प्रतिशत है। देखा जाए तो हमारी स्थिति पिछड़े देशों से थोड़ा बेहतर है। भारत में गरीबी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लिहाजा, शत–प्रतिशत साक्षरता का सपना शिक्षा को सर्वसुलभ बनाकर ही साकार हो सकता है।

vkèkkjHkr ljpuk e etcrh l xkeh.k fodkl dk cy

अर्थशास्त्र के नियम की बात करें तो विकास का आधार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, निर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि को माना जाता है। इस नजरिए से देश के समावेशी विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा और यह तभी संभव हो सकता है जब गांवों में सड़क, बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध

कराई जाए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की स्थिति में सुधार लाया जाए। स्पष्ट है इन कार्यों को बैंकों की सहभागिता के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित करना वास्तव में उतना आसान नहीं है, जहाँ हम वित्तीय जागरुकता एवं वित्तीय साक्षरता का प्रचार ग्रामीण एवं वित्तीय सुविधा विहिन लोगों वित्तीय सहायता प्रदान करने में कुछ समस्याएं भी है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए हमें जिन चुनौतियों का सामना करना होगा, उसमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैः–

- वित्तीय सुविधा विहिन लोगों से बचत खाते, नो फ्रिल्स खाते खुलवाने एवं उनके लेन–देन के निरीक्षण के कार्य करनेवाले व्यवसाय प्रतिनिधि अथवा सुविधादाता का पारिश्रमिक उस स्तर का हो, जिससे वे अपनी आजीविका योग्य रुप से चला सके।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों और सुविधादाताओं (बीसी–बीएफ) को योग्य प्रशिक्षण दिया जाना होगा। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संगठन (आईआईबीएफ) एवं नाबार्ड के माध्यम से बीसी–बीएफ को प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया गया है, लेकिन ग्रामीण या वित्तीय सुविधा विहिन लोगों की वित्तीय जरुरत को ध्यान में रखकर क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रणाली कार्यान्वित की जानी चाहिए। योग्य प्रशिक्षण के अभाव में बीसी–बीएफ–मॉडेल के अंतर्गत काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है।
- वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण इलाकों एवं वित्तीय सुविधा विहिन क्षेत्रों से आशानुरुप सहयोग न मिलना।

fu"d"k

कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सामाजिक बदलाव और देश में समावेशी विकास नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए हर घर को बैंकों से जोड़ना जरूरी है। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब में नहीं है। साफ है गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए बिना भारत को सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। समस्या बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की भी है। इस संदर्भ में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए भूमि सुधार के साथ–साथ कृषि क्षेत्र को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। किसानों को जागरूक एवं बिचौलिए की भूमिका को सीमित करने की भी आवश्यकता है। यह सब सुनिश्चित करने के लिए फसलों का मूल्य निर्धारण, भंडारण, आधारभूत संरचना को मजबूत, विपणन की व्यवस्था, खाद्यान्न खरीद नीति, बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम आदि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की जरुरत है।

एक समाजवादी, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश होने के नाते सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करे। इन उदेश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन्हें सही तरह से लागू नहीं कराया जा सका है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना आवश्यक है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में सुधार, गरीबी व भ्रष्टाचार उन्मूलन, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास को गति देने आदि से सामाजिक सुरक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त संख्या में बैंकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। स्पष्ट है देश में बैंकों का जाल बिछाकर ग्रामीण भारत में गरीब एवं अशक्त लोगों को सामाजिक रूप से सुरक्षित करने में हम सफल हो सकते हैं। ऐसा होने पर ग्रामीण भारत की तस्वीर निश्चित रूप से बेहतर होगी।

lUnHk xUFk lph

- भारतीय रिजर्व बैंक। (2014)। मोबाइल बैंकिंग पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट। (अध्यक्षः बी संबुमूर्ति)। मुंबई, 7 फरवरी ।
- भारतीय रिजर्व बैंक। (2015)। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। मुंबई, जून ।
- एमएम गांधी, भारत में वित्तीय समावेशन – मुद्दे और चुनौतियों, 2013, 12–20।
- Levine R, Loayza N, Beck T (2000) Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of Monetary Economics 46: 31-77.
- Swamy V, Vijayalakshmi (2002) Role of Financial Inclusion for Inclusive Growth in India –
- Issues and Challenges.
- World Bank (2008) Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access, World Bank Policy
- Sarma M (2007)Index of Financial Inclusion, ICRIER, New Delhi.
- http://pib.nic.in/newsite/hindifeature.aspx
- http://ratanjagannath.blogspot.com/2012/12/blog-post_16.html
- https://www.nabard.org/Hindi/content1.aspx
- https://navbharattimes.indiatimes.com/
- http://www.navabharat.com/

♦❐♦